2013:CGHC:6893

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 724/1999

याचिकाकर्ता : एस.एल.नर्सैया।

बनाम

प्रत्यर्थी : भारत संघ और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश सुनाने के लिए दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को सूची बद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2013:CGHC:6893

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका संख्या 724/1999</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : एस.एल.नर्सैया।

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : भारत संघ और अन्य।

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका</u>

<u>एकल पीठ: माननीय श्री .सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री वी.जी. तमास्कर।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री काशिफ शकील।

<u>आदेश</u>

(दिनांक 8 अप्रैल. 2013 को उदघोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 28.07.1998 के आक्षेपित आदेशों (अनुलग्नक पी/46 और पी/51) को अभिखंडन करने की मांग करता है, जिसके द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (*संक्षेप में 'सीआईएसएफ'*) इकाई भिलाई के कमांडेंट द्वारा जारी दिनांक 22.05.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी/44 और पी/49) के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपीलें खारिज कर दी गई थीं। इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि याचिकाकर्ता सीआईएसएफ का सदस्य था और दिल्ली राजहारा खान की भिलाई इकाई में लांस नायक के पद पर तैनात था। याचिकाकर्ता को शासकीय आवास आवंटित किया गया था, जिसे बाद में 22.08.1997 (अनुलग्नक पी/1) को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में नहीं रह रहा था। उक्त रद्द करने के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने 27.08.1997 (अनुलग्नक पी/2) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकारियों से उसे क्वार्टर रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। (अनुलग्नक पी/3) को याचिकाकर्ता को क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने 30.08.1997 (अनुलग्नक पी/4) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसका परिवार राजहरा आ गया है और वे उसके साथ रह रहे हैं। याचिकाकर्ता को 18.09.1997 (अनुलग्नक पी/6) को अनुशासनहीनता के लिए ऑर्डरली रूम में उपस्थित होने के लिए कहा गया और 19.09.1997 (अनुलग्नक पी/7) को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 (संक्षेप में 'नियम') के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच की गई। 6 अक्टूबर, 1997 को तीन आरोपों वाला आरोप पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी/41)। याचिकाकर्ता ने 21 अक्टूबर, 1997 को अपना जवाब दाखिल किया (अनुलग्नक पी/42)। 5 नवंबर, 1997 को ए.ए. अष्टेकर, इंस्पेक्टर, सीएसएफ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह विभागीय जांच में उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, 19.09.1997 का निलंबन आदेश 21.11.1997 को रद्द कर दिया गया (अनुलग्नक पी/19)। याचिकाकर्ता ने 06.01.1998 को अपनी यूनिट में वापस कार्यभार संभाला। इसके बाद, एकपक्षीय जांच पूरी की गई और जांच अधिकारी ने 08.01.1998 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए (अनुलग्नक पी/43)। अन्वेषण पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता को उपर्युक्त तीन आरोपों के सिद्ध होने पर 22.05.1998 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई (अनुलग्नक

पी/ 44)। एक अन्य अलग आरोप के लिए भी याचिकाकर्ता को उसी तिथि यानी 22.05.1998 को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई (अनुलग्नक पी/49)। इन आदेशों के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिन्हें दिनांक 28.07.1998 को खारिज कर दिया गया (अनुलग्नक पी/ 46) एंव (अनुलग्नक पी/ 51)। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है ।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तामस्कर ने यह तर्क दिया कि सेवा से बर्खास्तगी का अंतिम आदेश अधिशोपित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी भी दूसरा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति घरेलू आवश्यकता के कारण थी, इसलिए पूर्व सूचना के बिना अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की परिभाषा में नहीं आता। याचिकाकर्ता अपने परिवार के बिना सरकारी आवास में बहुत कम समय के लिए रहा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई दुराचार किया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 8 के तहत, बल के किसी सदस्य को सेवा से हटाना संविधान के अनुच्छेद 311 और नियम 1969 के नियम 34 के अधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ के कमांडेंट को याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का कोई अधिकार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, प्रत्यार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री काशिफ शकील ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते, गंभीर दुराचार और अनुशासनहीनता का दोषी है जो अत्यंत अशोभनीय है। प्रथम, याचिकाकर्ता ने सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया था और जब प्रत्यर्थी को यह जानकारी मिली कि वह अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अकेले रह रहा है, तो उसे आवास खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आवास खाली करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, जब उसे ऑर्डरली रूम में उपस्थित होने और रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जो स्पष्ट रूप से उनके वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवज्ञा के बराबर है। विभागीय जांच का संचालन अधिनियम, 1968 और नियम, 1969 के अनुसार

निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से किया गया। याचिकाकर्ता को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने डीई में सहयोग करने से इनकार कर दिया। अतः, जांच अधिकारी को विभागीय जांच को एकपक्षीय रूप से समाप्त करना पड़ा। 07.02.1998 (अनुलग्नक पी/25 और आर/6) को याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने, अपने बचाव पक्ष के गवाह को पेश करने और यदि आवश्यक हो तो किसी भी दस्तावेज़ की जांच करने का अवसर दिया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने 21.02.1998 (अनुलग्नक पी/30) को अस्वीकार कर दिया और एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसके पास 14.10.1997, 29.10.1997 और 21.10.1997 के आवेदनों में कही गई बातों के अलावा कुछ भी कहने को नहीं है। उसने यह भी सूचित किया कि वह कोई अलग बयान प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इसके बाद, जांच अधिकारी ने 26.03.1998 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और अंततः, सेवा से पृथीकरण का आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. श्री शकील ने आगे निवेदन किया कि दूसरी विभागीय जांच संपन्न की गई जिसमें याचिकाकर्ता को 10.12.1997 को आरोपपत्र जारी किया गया, जिसे याचिकाकर्ता के पैतृक स्थान पर भेजा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 31.12.1997 को, सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर बी. राजू को आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जब याचिकाकर्ता अपनी यूनिट में वापस लौटा, तो 06.01.1998 को एक नोटिस (अनुलग्नक पी/23) जारी किया गया, जिसमें उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। जांच अधिकारी ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और आरोपों को सिद्ध पाया, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को 16.03.1998 को दी गई, साथ ही उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर भी दिया गया। याचिकाकर्ता को 28.04.1998 को एक और अभ्यावेदन दाखिल करने का अवसर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया। अंततः, दिनांक 22.05.1998 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/49) द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील दायर की, जिसे

28.07.1998 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने गृह मंत्री के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे सक्षम प्राधिकारी होने के नाते महानिरीक्षक, सीआईएसएफ को भेज दिया गया। उक्त पुनरीक्षण याचिका भी 22.03.2000 को खारिज कर दी गई (अनुलग्नक आर/10)।

7. श्री शकील ने अंत में निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को हर संभव अवसर दिया गया और न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया गया। सेवा से हटाए जाने का अंतिम आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसका उसने लाभ उठाया। अतः, इस न्यायालय द्वारा चुनौती दिए गए आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

8. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी, और अभिवचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता को पहली बार 06.10.1997 को आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/14) दिया गया था, जिसमें उस पर परिवार के बिना पारिवारिक आवास पर कब्जा करने का आरोप था। दूसरा, 29.08.1997 के आदेश के बावजूद परिसर खाली न करके गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप था। तीसरा, याचिकाकर्ता ने 18.09.1997 को व्यवस्था कक्ष में उपस्थित होने से इनकार कर दिया और व्यवस्था कक्ष रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। यह अनुशासनहीनता का एक गंभीर आरोप है। जांच की गई और जांच अधिकारी द्वारा 08.01.1998 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस बीच, याचिकाकर्ता ने 06.01.1998 को अपनी यूनिट में वापस रिपोर्ट किया। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच करने, अपने बचाव पक्ष के गवाह को पेश करने और बचाव पक्ष के दस्तावेजों की जांच करने का अवसर पुनः दिया गया, हालांकि याचिकाकर्ता ने 21.02.1998 को इसे अस्वीकार कर दिया। जांच अधिकारी ने 12.03.1998 को पुनः अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी

दी गई तथा उसे इस पर जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया। यह स्पष्ट है कि विभिन्न नोटिस दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया और इस प्रकार, एकपक्षीय जांच समाप्त कर दी गई। इसी बीच, एक और जांच की गई जिसमें याचिकाकर्ता पर 11.11.1997 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया और उसे फरार घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को 10.12.1997 को एक आरोप पत्र दिया गया जो याचिकाकर्ता के पैतृक स्थान पर भेजा गया था। याचिकाकर्ता उक्त नोटिस का कोई जवाब दाखिल करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के अपनी यूनिट में वापस आने पर, उसे 06.01.1998 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को 16.03.1998 को दी गई। याचिकाकर्ता को 28.04.1998 को पुनः अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने बाद के आरोप पत्र पर भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इस प्रकार, उपर्युक्त दोनों विभागीय अपीलों में उल्लिखित जांच रिपोर्ट के आधार पर, 22.05.1998 को अंतिम आदेश पारित किया गया (अनुलग्नक पी/44 और पी/49)। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को भी तर्कसंगत आदेश के साथ खारिज कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही में सहयोग नहीं किया। प्रथम, कई कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। दूसरा यह कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जब दूसरा नोटिस जारी किया गया, तब भी याचिकाकर्ता ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। याचिकाकर्ता को कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से कहीं अधिक सुनवाई का अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सुनवाई का पूरा अवसर देने से इनकार कर दिया और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहा। इस प्रकार, जांच अधिकारी को विभागीय जांच एकपक्षीय समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। याचिकाकर्ता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया, क्योंकि उसने परिवार वाले कर्मचारियों के रहने के लिए बने आधिकारिक आवास को खाली नहीं किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने व्यवस्था कक्ष में

रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अंत में, याचिकाकर्ता अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा, जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई ठोस या तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता ने प्रत्यार्थी प्राधिकारियो द्वारा भेजे गए नोटिसों और पत्र व्यवहारों का जवाब देने की भी परवाह नहीं की। इसलिए, याचिकाकर्ता इस आधार का सहारा नहीं ले सकता कि उसे दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि वास्तव में उसे विधिवत रूप से जारी किया गया था। याचिकाकर्ता विभागीय जांच के संचालन में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष या सजा की वैधता और वैधानिकता में किसी भी त्रुटि को बताने में पूरी तरह विफल रहा है।

11. अतः, न्यायालय का दृढ़ मत है कि जाँच विधिवत रूप से संपन्न की गई थी और याचिकाकर्ता को दी गई सजा न्यायसंगत और उचित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Abhishek Kumar Rai.